न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 158 / 2024
अनवान : –

1. अनिल कुमार पुत्र शिशपाल जाति खाती निवासी परलीका तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. शिशपाल पुत्र दुनीराम जाति खाती निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. विनोद पुत्र दुनीराम जाति खाती निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. श्योपती पुत्री दुनीराम जाति खाती निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. सुनीता पुत्री शिशपाल जाति खाती निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगीराम बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**
श्री सुबोध शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः-05/03/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 12 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 128 / 128 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 86 / 88 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि उक्त दोनों खातों की भूमि में वादी की दादी महेश्वरी पत्नी दुनीराम का 1 / 4 हिस्सा भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के 1 / 4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा चक 19 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 92 / 91 की कुल 0.5050 हैक्ट भूमि जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के 1 / 3 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादीगण संख्या 4 की दादी महेश्वरी पत्नी दुनीराम फौत हो चुकी है महेश्वरी पत्नी दुनीराम के जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वाद भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी राजीनामा हो चुका है मुताबिक राजीनामा उक्त तीनों खातों में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग तीनों खातों की भूमि पर वादी अकेला काबिज है जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है ऐसा लिखा गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:17:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2074–77 रोही मौजा 12 बारानी खाता संख्या 128/128, रोही मौजा 17 एनटीआर सम्वत 2073–76 खाता संख्या 86/88, रोही मोजा 19 एनटीआर सम्वत 2073–76 खाता संख्या 92/91, मृत्यु प्रमाण पत्र महेश्वरी पत्नी दुनीराम व शपथ वारिसान प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी की दादी महेश्वरी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने उक्त वाद भूमि में अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में [illegible] मौजा चक 12 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 128/128 की कुल 0.759 [illegible] व रोही मौजा चक 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 86/88 की कुल 2.02[illegible] हैक्टेयर भूमि उक्त दोनों खातों की भूमि में वादी की दादी महेश्वरी पत्नी दुनीराम का 1/4 हिस्[illegible] भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:17:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

के 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा चक 19 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 92/91 की कुल 0.5050 हैक्ट भूमि जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि, हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी का कथन है कि वादी की दादी महेश्वरी का देहान्त हो चुका है महेश्वरी के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने उक्त समस्त वाद भूमि में अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लियाह है वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा स्वीकार किया गया है एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिसान प्रमाण पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार महेश्वरी के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 128/128 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि व एवं रोही मौजा 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 86/88 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि में महेश्वरी पत्नी दुनीराम व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 19 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 92/91 की कुल 0.5050 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:17:00 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 158/2024

अनवान : –

1. अनिल कुमार पुत्र शिशपाल जाति खाती निवासी परलीका तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. शिशपाल पुत्र दुनीराम जाति खाती निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. विनोद पुत्र दुनीराम जाति खाती निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. श्योपती पुत्री दुनीराम जाति खाती निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. सुनीता पुत्री शिशपाल जाति खाती निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 158 सन 2024 निर्णय दिनांक – 05/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगीराम बैनीवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री सुबोध शर्मा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 128/128 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि व एवं रोही मौजा 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 86/88 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि में महेश्वरी पत्नी दुनीराम व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 19 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 92/91 की कुल 0.5050 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:17:00 IST
Reason: SelfAttested